कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail :nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

संख्या:– 344 / FP/UK/ROAD/48173/2020 देहरादूनः दिनांकः 01/8/ जुलाई, 2022

सेवा में,

सचिव,
वन अनुभाग–3,
उत्तराखण्ड शासन।

विषयः– जनपद–देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता के अन्तर्गत लोखण्डी बुधेर वन मार्ग से ग्राम पंचायत बुल्हाड़ के ग्राम उदाबा तक सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 3.900 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

(Online Proposal No- FP/UK/ROAD/48173/2020)

महोदय,

उपरोक्त विषयक परियोजना हेतु अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चकराता द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 3.900 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु वन भूमि वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। प्रस्ताव पर राजस्व विभाग/ प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता एवं वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा भी सहमति प्रदान की गयी है।

प्रस्ताव पर **प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), महोदय से पत्रावली पर सहमति प्राप्त करने के उपरान्त,** ऑनलाईन प्रपत्र भाग–I से भाग–III एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र भाग–IV पर संस्तुति कर संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं कि कृपया प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

01/08/22

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षकएवंनोडल अधिकारी,
वन संरक्षण,उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या /FP/UK/ROAD/48173/2020 तद्‌दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF),उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर–मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड़, देहरादून को प्रस्ताव की मूल प्रति एवं पार्ट I से IV तक संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
3. मुख्य वन संरक्षक/गढ़वाल, पौड़ी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया समय–समय पर प्रकरण की समीक्षा करने हेतु सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी से प्रस्ताव की एक प्रति प्राप्त कर लें।
4. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. जिलाधिकारी, जनपद–देहरादून।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता।
7. अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चकराता।

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षकएवंनोडल अधिकारी,
वन संरक्षण,उत्तराखण्ड, देहरादून।

भाग–IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

17–	टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)	प्रमुख वन संरक्षक (**HoFF**), उत्तराखण्ड द्वारा पत्रावली पर सहमति के पश्चात् प्रस्ताव पर संस्तुति प्रदान की जाती है।

हस्ताक्षर :

तिथिः 01-08-2022

नाम और पदनाम

स्थानः देहरादून

सरकारी मोहर

अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी
उत्तराखण्ड, देहरादून।